न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **अमीलाल मीणा**

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्री रामवतार द. पुत्र पन्ना मदन सुभाष पुत्रगण मोहन जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 15/2021 दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आबादी 0.85 है0 में से 0.04 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामवतार द. पुत्र पन्ना मदन सुभाष पुत्रगण मोहन जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा ने अनाधिकृत रुप से बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना मौखिक जबाब पेश किया जो खुले इजलास सुना गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया कि उक्त भूमि पर उसका पुराना कब्जा काश्त है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि का उसके हक में नियमन करने हेतु निवेदन किया है।

ना. तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

कृ. पृ. उ.

अप्राणी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम चोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आबादी 0.85 है0 में से 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्राणी को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम चोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आबादी 0.85 है0 में से 0.04 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रामवतार व. पुत्र पन्ना मदन सुभाष पुत्रगण मोहन जाति जाट निवासी चोलाखेड़ा जाति जाट निवासी चोलाखेड़ा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.04 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 2/- रुपये (अक्षरे रू दो मात्र.) बतौर जुर्माना अप्राणी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्राणी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(अमीलाल मीणा)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी

पृ.सं. 2